क्रम.सं.	अधिकारी का ब्यौरा	लगाई गई शासित
2.	उत्तर प्रदेश संवर्ग बैच 1968 का एक अधिकारी	परिनिंदा की शासित लगाई गई ।
3.	केरल संवर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक सेवानिवृत अधिकारी	50 प्रतिशत मासिक पेंशन रोकना । 31.12.96 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने आदेश अपास्त कर दिया ।
4.	तमिलनाडु संवर्ग का भा.प्र.से.का एक सेवानिवृत्त अधिकारी	50 प्रतिशत मासिक पेंशन रोकना ।
5.	भा.प्र.से.महाराष्ट्र संवर्ग का 1968 बैच का एक अधिआरी	अनिवार्य सेवानिवृत्ति
6.	महाराष्ट्र संवर्ग, भा.प्र.से. का एक अधिकारी	अनिवार्य सेवानिवृत्ति
7.	बिहार संवर्ग का भा.प्र.से. का एक अधिकारी	बर्खास्तगी
8.	1969 बैच का पंजाब संवर्ग का भा.प्र.से. का एक अधिकारी	
9.	महाराष्ट्र संवर्ग का भा.प्र.से. का एक अधिकारी	अनिवार्य सेवानिवृत्ति ।
10.	1976 बैच का हरियाणा संवर्ग का भा.प्र.से. का एक अधिकारी	परिनिंदा
11.	अगमूट संवर्ग का भा.प्र.से. का एक अधिकारी	बर्खास्तगी
12.	पश्चिम बंगाल संवर्ग का भा.प्र.से. का एक सेवानिवृत्ति अधिकारी	20 प्रतिशत रोकना ।

Cases Registered by CBI against Ministers, MPs and MLAs

4347. SHRI SATISH AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of cases registered by the CBI against present and former Ministers, MPs and MLAs in the country during the last six years;

(b) the details of those against whom charge-sheet have been filed; and

(c) the reasons for the filing the charge-sheets against the remaining persons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) to (c) During the last 6 years, i.e. 1991 to 1996 and upto 31.3.97, a total of 40 cases have been registered in CBI against 53 Ministers/ex-Ministers, 32 MPs/ex-MPs and 19 MLAs/ex-MLAs. Out of these 40 cases, charge-sheets have been filed in 20 cases. In respect of the remaining 20 cases, the reasons for not filing ths charge-sheets are as under:—

(i) Investigation is pending in 14 cases.

(ii) Sanction for prosecution is awaited in 3 cases.

(iii) In 3 cases evidence was not sufficient to file charge-sheet.

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के अधिकारियों की जवाबदेही

4348. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों और सचिवों (आई.ए.एस.) के साथ कीगई बैठक में आई.ए.एस. अधिकारियों की कार्य पालन और कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की सख्त जरूरत पर जोर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा आई.ए.एस. अधिकारियों को ज्यादा जवाबदेही और लोकोन्मुख बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान कार्य प्रणाली काफी हद तक असंतोषजनक है जिसके परिणामस्वरूप असमानताएं बढी हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने की अति आवश्यकता है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर.बालसुब्रमण्यन) : (क) से (घ) दिनांक 20-11-1996 को राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों के मुख्त सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही नहीं बल्कि समग्र रुप से सिविल सेवाओं को साफ-सुथरा बनाते हुए और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हुये, संपूर्ण प्रशासन को उत्तरदायी, जवाबदेही और प्रभावी बनाने से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था । इस सम्मेलन को प्रधान-मंत्री द्वारा संबोधित किया गया था जहां उन्होंने प्रशासनिक तंत्र में लोगों की आस्था पुनः स्थापित करने तथा जनाभिमुखी प्रवृत्ति और डिलीवरी प्रणाली को अपनाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को समर्पित भावना से कार्य करने के लिये प्रेरित किया । सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश की :-

(i) जनता की संतुष्टि और सेवाओं की उत्तरदायित्वपूर्ण डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये जवाबदेही को व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए । इस उद्देश्य के लिये यथासंभव अधिक से अधिक सेवा संस्थानों के लिये नागरिक चार्टर की शुरूआत चरणबद्ध ढंग से किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए ।

(ii) सरकार और लोक निकायों के क्रिया-कलापों में खुलापन और अधिक पारदर्शिता लाना आवश्यक है । उदाहरण के लिये,इसके अंतर्गत सूचना और अधिकारी अधिनियम का प्रयास शामिल होगा ।

इस सम्मेलन के बाद, सार्वजनिक संपर्क वाले कई मंत्रालयों ने नागरिक चार्टर तैयार कर लिये हैं तथा और अधिक उत्तरदायी प्रशासन, क्रिया-विधियों के सरलीकरण,शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि के लिये अनेक उपाय शुरू किये हैं । सरकार ने सूचना के अधिकारी और पारदर्शिता के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया है । प्रशासन में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है ।

Quality Control Tests in Kendriya Bhandar

4349. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:
DR. ALLADI P. RAJKUMAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the quantity of adulterated stocks of basmati rice withdrawn from Kendriya Bhandar outlets and the number of outlets affected;

(b) whether any quality control tests are being done regularly and if so, the number of tests of various commodities done during the last 12 months and the results thereof; and

(c) the action taken against those found guilty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTERY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAM): (a) No